

पत्रांक-3/एम०-60/2022सा०प्र०.19.9.30./

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
मुख्य सचिव, बिहार

सेवा में,

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
पुलिस महानिदेशक

पटना, दिनांक 12.12.2024

विषय- सचिवालय के सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मियों द्वारा Biometric Attendance के माध्यम से ससमय उपस्थिति दर्ज करने तथा कार्यालय अवधि में कार्यालय में उपस्थित रहने के संबंध में।

महाशय,

सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या-3450 दिनांक-02.12.2006 एवं 4754 दिनांक-31.12.2007 द्वारा सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के लिए 05 दिवसीय कार्य सप्ताह प्रणाली लागू करते हुए कार्यालय अवधि एवं मध्याह्न भोजन का समय निर्धारित है।

2. गृह विभाग (विशेष शाखा) के परिपत्र संख्या-8926 दिनांक-12.08.2022 द्वारा दिनांक-29.08.2022 से AEBAS (Aadhaar Enabled Biometric Attendance System) माध्यम से शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करने का राज्य सरकार का निदेश परिचारित किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-15498 दिनांक-01.09.2022 द्वारा भी बायोमैट्रिक माध्यम से शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करने का निदेश परिचारित किया गया है।

3. पुनः सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-16458 दिनांक-12.09.2022 द्वारा बायोमैट्रिक माध्यम से शत-प्रतिशत उपस्थिति दर्ज करने में चूक/कमी की परिस्थिति में संबंधित सरकारी सेवकों के विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई से संबंधित निदेश परिचारित किया गया है तथा परिपत्र संख्या-1066 दिनांक-16.01.2023 द्वारा पदस्थापन की प्रतिक्षारत सरकारी सेवकों तथा निलंबित सरकारी सेवकों के मामले में पूर्व के प्रावधानों के अनुरूप उपस्थिति पंजी में इनकी उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था को बनाये रखने का निदेश दिया गया है।

4. सचिवालय के विभागों एवं संलग्न कार्यालयों के कर्मियों द्वारा उक्त व्यवस्था के तहत दर्ज की गयी उपस्थिति की समीक्षा में पाया गया कि अभी भी कतिपय विभागों/संलग्न कार्यालयों में उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

5. अतः सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के कर्मियों द्वारा AEBAS (Aadhaar Enabled Biometric Attendance System) माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने एवं कार्यालय अवधि में कार्यालय में उपस्थित रहने के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु निम्नांकित निदेश दिये जाते हैं—

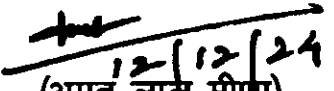
(i) उक्त संदर्भ में विहित प्रावधानों के अनुश्रवण हेतु कार्यालय में पदाधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति का औचक निरीक्षण किया जाय तथा अनुपालन नहीं करने वाले कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाय।

(ii) उपस्थिति विवरणी के आधार पर विलंब से कार्यालय आने की अवधि हेतु सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या-16458 दिनांक- 12.09.2022 में विहित प्रावधानों के अनुरूप अनुमान्य अवकाशों का समायोजन स्थापना प्रभारी करेंगे। जिन सरकारी सेवकों के अवकाश खाते में कोई अवकाश शेष न हो, उनके विलंब से कार्यालय आने की स्थिति में, विलंब अवधि के लिए उनके वेतन से नियमानुसार आवश्यक कटौती की जाय। विशेष परिस्थिति में आवश्यक छूट, विभागाध्यक्ष प्रदान कर सकेंगे।

(iii) सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपस्थिति विवरणी से संबंधित स्थापना प्रतिवेदन के आधार पर ही वेतन विपत्र तैयार करेंगे।

6. उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन,


(अमृत लाल मीणा)
मुख्य सचिव,
बिहार